

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एनआरएचएम/आरसीएच-११/जेएसवाई/०८/१२९

दिनांक: २९.७.०८


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

विषय:—जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राईवेट चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता दिये जाने के क्रम में।

सन्दर्भ:—निदेशक (आरसीएच) के पत्रांक एनआरएचएम/आरसीएच-११/जेएसवाई/०७/४८२२ दिनांक १६.८.२००७


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि निदेशक (आरसीएच) के उपरोक्त सन्दर्भित आदेशानुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के खण्ड/ब्लॉक स्तर पर २-२ प्राईवेट चिकित्सालयों/संस्थानों को मान्यता प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए तहसील या खण्ड स्तर पर केवल दो संस्थाओं को मान्यता दिये जाने की बाध्यता समाप्त की जाती हैं।

अतः खण्ड/ब्लॉक स्तर पर दिये गये मार्गदर्शानुसार अधिक से अधिक चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रयास किये जायें।


निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक:एनआरएचएम/आरसीएच-११/जेएसवाई/०८/
प्रतिलिपि:

१. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
२. निजी सचिव, सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक—एनआरएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
३. संयुक्त निदेशक, सम्बन्धित जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर


निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर